

श्रम को आर्थिक सम्बल और स्वाभिमान का सम्मान

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

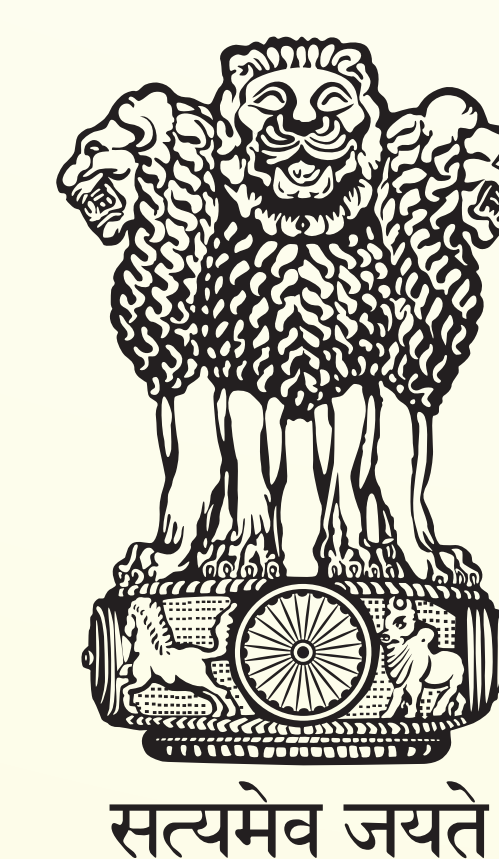
के तहत जरूरतमंद कामगारों को
मिलने वाली राहत में बढ़ोतरी

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) के अंतर्गत
बढ़े लाभ एवं पात्रता शर्तों में छूट

राहत दर औसत मज़दूरी का 25% से बढ़ाकर 50% की गई।

राहत राशि का भुगतान सीधे बीमाकृत व्यक्ति के बैंक खाते में।

योजना के अंतर्गत जानकारी एवं राहत हेतु दावा प्रस्तुत करने के लिए,
कृपया www.esic.in पर विज़िट करें।



श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
भारत सरकार



कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी/संबंधित ईएसआईसी शाखा कार्यालय अथवा टोल फ्री नं. 1800 11 2526 पर संपर्क करें।